राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, ''ए'' ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती–2023/(स्थापना)/अलेसे–III/264 दिनांकः– 16-06-2025

कार्यालय आदेश

सुश्री कंचन, कनिष्ठ लेखाकार, **(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)** कार्यालय कोषाधिकारी, चूरू को कोषाधिकारी, चूरू के पत्रांक कोष/चूरू/संस्था/2024–25/264 दिनांक 11.03.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डेम दिनांक 06.01.2020 व 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार दिनांक 25.02.2025 से 31.03.2025 तक **(कुल 35 दिवस)** का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री कंचन, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में **(लाल स्याही से)** अनिवार्य रूप से अंकित करावें। इनकी परिवीक्षाधीन अवधि उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ायी जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त **(राजस्व)** विभाग की डायरी संख्या 1377 दिनांक 19.05.2025 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती–2023/(स्थापना)/अलेसे–III/264 दिनांकः– 16-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कोषाधिकारी, चूरू।
2. निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. सुश्री कंचन, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), वर्तमान पदस्थापन कार्यालय निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)